राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अन्जना बडेरा बनाम आशा खण्डेलवाल 20/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04(3) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत निरस्त किये जाने अपील पेश किया, जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलवायी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पो. संख्या 2 मुकुन्दा की दिनांक 04/03/2023 को मृत्यु हो जाने एवं मुकुन्दा के ही पुत्र ग्यारसीलाल की मृत्यु दिनांक 09/03/2025 को हो जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उनके वारिसान/कायम मुकामान के सन्दर्भ में कोई आवेदन पेश नही किये जाने से अपील अबेट हो चुकी है। इस सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से रेस्पो. के कथन न्यायोचित प्रतीत होते है एवं विधि में भी 90 दिवस की अवधि मृतक पक्षकार के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. संख्या 2 की दिनांक 04/03/2023 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी एवं रेस्पो. द्वारा दिनांक 25/02/2025 को रेस्पो. संख्या 2 व 3 की मृत्यु की सूचना दे दिये जाने के उपरान्त भी 90 दिवस विधि में निर्धारित अवधि के पश्चात भी अपीलार्थी द्वारा मृतक पक्षकार के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही विधाराधीन प्रकरण में नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील कानूनन अबेट हो गयी है। अतः रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी अबेट हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाख़िल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	